



सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन

डॉ० प्रवीन कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर

शिक्षाशास्त्र विभाग

स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय

डोईवाला, देहरादून

डॉ० संतोष कुमार त्रिपाठी

प्राचार्य

सरस्वती इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट

एण्ड टेक्नोलॉजी

रूद्रपुर

पुष्पा जोशी

शोधार्थिनी

शिक्षाशास्त्र विभाग

स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय

डोईवाला, देहरादून

सारांश

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करना है। प्रस्तुत शोध के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शून्य परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। शोध के उद्देश्य तथा प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण शोधविधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध के न्यादर्श के लिए उधमसिंह नगर जिले के 10 सरकारी एवं 10 गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 400 ग्रामीण विद्यार्थियों व 400 शहरी विद्यार्थियों का यादृच्छिक न्यादर्श प्रविधि द्वारा चयन किया गया है। प्रस्तुत शोध में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता को आश्रित चर तथा क्षेत्र को स्वतन्त्र चर के रूप में लिया गया है। प्रदत्तों को एकत्र करने के लिए डॉ० विशाल सूद एवं डॉ० आरती आनन्द द्वारा निर्मित एवं प्रमापीकृत ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस टैस्ट का प्रयोग किया गया है। प्रदत्तों का विश्लेषण करने के लिए द्विमार्गी प्रसरण विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। शोध के परिणामों में सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता में सार्थक अन्तर पाया गया है। सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का स्तर गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की तुलना में उच्च पाया गया है। सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता, मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता, मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता एवं मानवाधिकार के प्रति जागरुकता में क्षेत्र के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर पाया गया है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का स्तर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण विद्यार्थियों की तुलना में उच्च पाया गया है।

मुख्य बिन्दु :- सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मानवाधिकार के प्रति जागरुकता, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी।

❖ प्रस्तावना

मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएँ हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी राष्ट्रीयता, जातीयता, लिंग या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना प्राप्त होती हैं। ये अधिकार जन्मसिद्ध, अविच्छेद्य और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं (डॉनेली, 2013)। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी को केवल इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि वह एक मानव है। ये अधिकार सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं और व्यक्तियों को अन्याय और उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाए गए हैं (निकेल, 2019)। मानवाधिकारों का महत्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और इसे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कानूनी ढांचे के माध्यम से संरक्षित किया जाता है (क्लाफेम, 2015)। मानवाधिकारों की कानूनी नींव विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों, प्रथागत कानूनों और घोषणाओं में निहित है। मानवाधिकारों के उल्लंघन, जैसे भेदभाव, यातना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन, अंतरराष्ट्रीय कानून के गंभीर अपराध माने जाते हैं (बासियौनी, 2012)।

सरकारें और अंतरराष्ट्रीय संगठन मानवाधिकारों की सुरक्षा को दृढ़ करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी के लिए एक निष्पक्ष और न्यायसंगत समाज बनाया जा सके (संयुक्त राष्ट्र संघ, 2020)। परन्तु मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के अभाव में सभी प्रयास निरर्थक हैं। मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता न्याय, समानता और सभी व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। बजाज (2011) के अनुसार मानवाधिकार के प्रति जागरूकता सम्मान और सशक्तिकरण की संस्कृति को बढ़ावा देती है। टिबिट्स (2017) ने स्पष्ट किया है कि मानवाधिकार के प्रति जागरूकता से व्यक्तियों में आलोचनात्मक सोच विकसित होती है, जिससे वे दमनकारी संरचनाओं को चुनौती दे सकते हैं और नीतिगत बदलावों की वकालत कर सकते हैं। मिहर (2012) का मत है कि मानवाधिकार के प्रति जागरूकता सहिष्णुता और पारस्परिक समझ को बढ़ावा देता है, जिससे संघर्षों में कमी आती है और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की संभावना बढ़ती है।

मैरी (2006) के अनुसार मानवाधिकार के प्रति जागरूकता से भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघनों में कमी आती है। विद्यार्थियों के लिए मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता आवश्यक है क्योंकि यह सम्मान, समानता और जिम्मेदार नागरिकता की भावना को विकसित करने में सहायक होती है। बैंक्स (2020) के अनुसार मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों को समझने में सहायता करती है और शांति तथा समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देती है। एंड्रियोपोलोस एवं क्लॉड (2017) के अनुसार मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता से विद्यार्थी अपने अधिकारों से अवगत होते हैं और अपने आसपास न्याय को बढ़ावा देने की क्षमता विकसित करते हैं।

बजाज एवं हंटजोपोलोस (2016) ने स्पष्ट किया कि मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता विद्यार्थियों को गरीबी, भेदभाव और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे वैश्विक मुद्दों पर सार्थक चर्चाओं में भाग लेने में सहायता करती है। ओस्लर (2016) के अनुसार मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता विद्यार्थियों के बीच आपसी सम्मान और अहिंसक व्यवहार को बढ़ावा देती है। मैकडवॉय (2019) का मत है कि जिन विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता होती है, वे मानवीय प्रयासों और स्वयंसेवी कार्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्धता दिखाते हैं। अतः मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह उन्हें न्याय, समानता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाती है। विद्यार्थियों के लिए मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए शोधार्थिनी द्वारा प्रस्तुत शोध करने का निश्चय किया गया है।

❖ शोध अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है :-

1. सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरूकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरूकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरूकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करना।

❖ शोध अध्ययन की परिकल्पनाएं

प्रस्तुत शोध में निम्न परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है :-

1. सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता में क्षेत्र के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता में क्षेत्र के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर नहीं है।
3. सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता में क्षेत्र के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर नहीं है।
4. सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता में क्षेत्र के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर नहीं है।

❖ शोध विधि

शोध के उद्देश्य तथा प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

❖ जनसंख्या

प्रस्तुत शोध की जनसंख्या में उधमसिंह नगर जिले के सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है।

❖ न्यादर्श एवं न्यादर्श प्रविधि

प्रस्तुत शोध के न्यादर्श के लिए उधमसिंह नगर जिले के 10 सरकारी एवं 10 गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 400 ग्रामीण विद्यार्थियों व 400 शहरी विद्यार्थियों का यादृच्छिक न्यादर्श प्रविधि द्वारा चयन किया गया है।

❖ शोध में प्रयुक्त चर

प्रस्तुत शोध में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता को आश्रित चर तथा क्षेत्र को स्वतन्त्र चर के रूप में लिया गया है।

❖ शोध उपकरण

1. मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का मापन करने के लिए डॉ० विशाल सूद एवं डॉ० आरती आनन्द द्वारा निर्मित ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस टैस्ट का प्रयोग किया गया है।

❖ सांख्यिकीय प्रविधियाँ

प्रदत्तों का विश्लेषण करने के लिए द्विमार्गी प्रसरण विश्लेषण का प्रयोग किया गया है।

❖ व्याख्या एवं विश्लेषण

सारणी – 1(क) : सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में मध्यमान तथा मानक विचलन

विद्यालय का प्रकार	क्षेत्र	मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता		विद्यार्थियों की संख्या
		मध्यमान	मानक विचलन	
सरकारी	ग्रामीण	7.70	2.60	200
	शहरी	11.28	3.11	200
	कुल	9.49	3.38	400
गैर-सरकारी	ग्रामीण	6.24	3.42	200
	शहरी	9.11	2.67	200
	कुल	7.67	3.39	400
कुल	ग्रामीण	6.97	3.12	400
	शहरी	10.19	3.09	400
	कुल	8.58	3.50	800

स्रोत :- शोधार्थिनी द्वारा एकत्रित प्रदत्तों का विश्लेषण, 2024

सारणी 1(क) से स्पष्ट है कि सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता का मध्यमान क्रमशः 7.70 एवं 11.28 है। इन मध्यमानों से स्पष्ट है कि सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता का स्तर औसत है। गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता का मध्यमान क्रमशः 6.24 एवं 9.11 है। इन मध्यमानों से स्पष्ट है कि गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता का स्तर औसत है। सारणी से स्पष्ट है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता का स्तर सबसे अधिक है। इसके विपरीत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता का स्तर सबसे निम्न है।

सारणी – 1(ख) : सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में प्रसरण विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता अंश	वर्गों के मध्यमान का योग	एफ मान	परिणाम
विद्यालय का प्रकार	662.480	1	662.480	75.150**	सार्थक
क्षेत्र	2080.125	1	2080.125	235.965**	सार्थक
अन्तःक्रिया	25.205	1	25.205	2.859	असार्थक
समूहों के मध्य	2767.810	3	922.603		
समूहों के अन्तर्गत	7017.070	796	8.815		

स्रोत :- शोधार्थिनी द्वारा एकत्रित प्रदत्तों का विश्लेषण, 2024

** = 0.01 सार्थकता स्तर

सारणी 1(ख) से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता अंश 1 तथा 796 पर सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता की तुलना हेतु प्राप्त एफ मान 75.150 (सार्थकता स्तर=0.01) है, जो सार्थक पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी एवं गैर-सरकारी

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता में सार्थक अन्तर है।

स्वतन्त्रता अंश 1 तथा 796 पर सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में प्राप्त एफ मान 235.965 (सार्थकता स्तर=0.01) है, जो सार्थक पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता में क्षेत्र के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर है।

स्वतन्त्रता अंश 1 तथा 796 पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता पर विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र की अन्तःक्रिया के प्रभाव हेतु प्राप्त एफ मान 2.859 है, जो सार्थक नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता पर विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र की अन्तःक्रिया के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर नहीं है।

अतः परिकल्पना कि “सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता में क्षेत्र के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर नहीं है” मुख्य रूप से निरस्त एवं आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है।

सारणी – 2(क) : सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में मध्यमान तथा मानक विचलन

विद्यालय का प्रकार	क्षेत्र	मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता		विद्यार्थियों की संख्या
		मध्यमान	मानक विचलन	
सरकारी	ग्रामीण	14.99	3.49	200
	शहरी	21.64	3.52	200
	कुल	18.31	4.83	400
गैर-सरकारी	ग्रामीण	10.77	3.14	200
	शहरी	18.73	3.70	200
	कुल	14.75	5.26	400
कुल	ग्रामीण	12.88	3.94	400
	शहरी	20.18	3.89	400
	कुल	16.53	5.35	800

स्रोत :- शोधार्थिनी द्वारा एकत्रित प्रदत्तों का विश्लेषण, 2024

सारणी 2(क) से स्पष्ट है कि सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता का मध्यमान क्रमशः 14.99 एवं 21.64 है। इन मध्यमानों से स्पष्ट है कि सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता का स्तर क्रमशः औसत एवं उच्च है। गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता का मध्यमान क्रमशः 10.77 एवं 18.73 है। इन मध्यमानों से स्पष्ट है कि गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता का स्तर औसत है। सारणी से स्पष्ट है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता का स्तर सबसे अधिक है। इसके विपरीत उच्चतर

माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण विद्यार्थियों की मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता का स्तर सबसे निम्न है।

सारणी – 2(ख) : सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में प्रसरण विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता अंश	वर्गों के मध्यमान का योग	एफ मान	परिणाम
विद्यालय का प्रकार	2545.411	1	2545.411	211.141**	सार्थक
क्षेत्र	10665.301	1	10665.301	884.685**	सार्थक
अन्तःक्रिया	86.461	1	86.461	7.172**	सार्थक
समूहों के मध्य	13297.174	3	4432.391		
समूहों के अन्तर्गत	9596.165	796	12.055		

स्रोत :- शोधार्थिनी द्वारा एकत्रित प्रदत्तों का विश्लेषण, 2024

** = 0.01 सार्थकता स्तर

सारणी 2(ख) से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता अंश 1 तथा 796 पर सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता की तुलना हेतु प्राप्त एफ मान 211.141 (सार्थकता स्तर=0.01) है, जो सार्थक पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता में सार्थक अन्तर है।

स्वतन्त्रता अंश 1 तथा 796 पर सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में प्राप्त एफ मान 884.685 (सार्थकता स्तर=0.01) है, जो सार्थक पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता में क्षेत्र के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर है।

स्वतन्त्रता अंश 1 तथा 796 पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता पर विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र की अन्तःक्रिया के प्रभाव हेतु प्राप्त एफ मान 7.172 (सार्थकता स्तर=0.01) है, जो सार्थक पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता पर विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र की अन्तःक्रिया के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर है।

अतः परिकल्पना कि “सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के सम्प्रत्यय के ज्ञान एवं समझ के प्रति जागरुकता में क्षेत्र के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर नहीं है” पूर्ण रूप से निरस्त की जाती है।

सारणी – 3(क) : सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में मध्यमान तथा मानक विचलन

विद्यालय का प्रकार	क्षेत्र	मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता		विद्यार्थियों की संख्या
		मध्यमान	मानक विचलन	
सरकारी	ग्रामीण	26.18	11.34	200
	शहरी	37.05	12.65	200
	कुल	31.61	13.17	400
गैर-सरकारी	ग्रामीण	21.89	8.79	200

कुल	शहरी	32.70	9.98	200
	कुल	27.29	10.84	400
	ग्रामीण	24.03	10.36	400
	शहरी	34.88	11.58	400
	कुल	29.45	12.25	800

स्रोत :- शोधार्थिनी द्वारा एकत्रित प्रदत्तों का विश्लेषण, 2024

सारणी 3(क) में सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में मध्यमान तथा मानक विचलन प्रस्तुत किया गया है।

सारणी से स्पष्ट है कि सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता का मध्यमान क्रमशः 26.18 एवं 37.05 है। इन मध्यमानों से स्पष्ट है कि सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता का स्तर औसत है।

गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता का मध्यमान क्रमशः 21.89 एवं 32.70 है। इन मध्यमानों से स्पष्ट है कि गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता का स्तर औसत है।

सारणी से स्पष्ट है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता का स्तर सबसे अधिक है। इसके विपरीत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता का स्तर सबसे निम्न है।

सारणी – 3(ख) : सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में प्रसरण विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता अंश	वर्गों के मध्यमान का योग	एफ मान	परिणाम
विद्यालय का प्रकार	3732.480	1	3732.480	32.075**	सार्थक
क्षेत्र	23522.805	1	23522.805	202.142**	सार्थक
अन्तःक्रिया	0.180	1	0.180	0.002	असार्थक
समूहों के मध्य	27255.465	3	9085.155		
समूहों के अन्तर्गत	92628.730	796	116.368		

स्रोत :- शोधार्थिनी द्वारा एकत्रित प्रदत्तों का विश्लेषण, 2024

** = 0.01 सार्थकता स्तर

सारणी 3(ख) से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता अंश 1 तथा 796 पर सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता की तुलना हेतु प्राप्त एफ मान 32.075 (सार्थकता स्तर= 0.01) है, जो सार्थक पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता में सार्थक अन्तर है।

स्वतन्त्रता अंश 1 तथा 796 पर सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में प्राप्त एफ मान 202.142 (सार्थकता स्तर=0.01) है, जो सार्थक पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर

माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता में क्षेत्र के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर है।

स्वतन्त्रता अंश 1 तथा 796 पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता पर विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र की अन्तःक्रिया के प्रभाव हेतु प्राप्त एफ मान 0.002 है, जो सार्थक नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता पर विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र की अन्तःक्रिया के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर नहीं है।

अतः परिकल्पना कि “सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता में क्षेत्र के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर नहीं है” मुख्य रूप से निरस्त एवं आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है।

सारणी – 4(क) : सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में मध्यमान तथा मानक विचलन

विद्यालय का प्रकार	क्षेत्र	मानवाधिकार के प्रति जागरुकता		विद्यार्थियों की संख्या
		मध्यमान	मानक विचलन	
सरकारी	ग्रामीण	48.72	11.35	200
	शहरी	69.97	13.23	200
	कुल	59.34	16.27	400
गैर-सरकारी	ग्रामीण	38.89	9.35	200
	शहरी	60.53	11.32	200
	कुल	49.71	15.00	400
कुल	ग्रामीण	43.80	11.49	400
	शहरी	65.25	13.18	400
	कुल	54.52	16.36	800

स्रोत :- शोधार्थिनी द्वारा एकत्रित प्रदत्तों का विश्लेषण, 2024

सारणी 4(क) से स्पष्ट है कि सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का मध्यमान क्रमशः 48.72 एवं 69.97 है। इन मध्यमानों से स्पष्ट है कि सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का स्तर क्रमशः औसत एवं उच्च है। गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का मध्यमान क्रमशः 38.89 एवं 60.53 है। इन मध्यमानों से स्पष्ट है कि गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का स्तर औसत है। सारणी से स्पष्ट है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का स्तर सबसे अधिक है। इसके विपरीत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का स्तर सबसे निम्न है।

सारणी – 4(ख) : सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में प्रसरण विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता अंश	वर्गों के मध्यमान का योग	एफ मान	परिणाम
विद्यालय का प्रकार	18557.011	1	18557.011	142.871**	सार्थक
क्षेत्र	91999.051	1	91999.051	708.303**	सार्थक
अन्तःक्रिया	7.801	1	7.801	0.060	असार्थक
समूहों के मध्य	110563.864	3	36854.621		
समूहों के अन्तर्गत	103389.685	796	129.887		

स्रोत :- शोधार्थिनी द्वारा एकत्रित प्रदत्तों का विश्लेषण, 2024

** = 0.01 सार्थकता स्तर

सारणी 4(ख) से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता अंश 1 तथा 796 पर सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता की तुलना हेतु प्राप्त एफ मान 142.871 (सार्थकता स्तर=0.01) है, जो सार्थक पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता में सार्थक अन्तर है।

स्वतन्त्रता अंश 1 तथा 796 पर सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का क्षेत्र के सन्दर्भ में प्राप्त एफ मान 708.303 (सार्थकता स्तर=0.01) है, जो सार्थक पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता में क्षेत्र के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर है।

स्वतन्त्रता अंश 1 तथा 796 पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता पर विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र की अन्तःक्रिया के प्रभाव हेतु प्राप्त एफ मान 0.060 है, जो सार्थक नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता पर विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र की अन्तःक्रिया के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर नहीं है।

अतः परिकल्पना कि “सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता में क्षेत्र के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर नहीं है” मुख्य रूप से निरस्त एवं आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है।

❖ परिणाम

प्रस्तुत शोध से निम्न परिणाम प्राप्त किये गये हैं :-

1. सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता में सार्थक अन्तर पाया गया है। सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता का स्तर गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की तुलना में उच्च पाया गया है।
2. सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता में क्षेत्र के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर पाया गया है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता का स्तर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् ग्रामीण विद्यार्थियों की तुलना में उच्च पाया गया है।
3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों के ज्ञान के प्रति जागरुकता पर विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र की अन्तःक्रिया के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।

- विद्यालयों में अध्ययनरत् शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकार के स्तर अपेक्षाकृत उच्च पाया गया है।
- सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता में सार्थक अन्तर पाया गया है।
- अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित जानकारी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की स्थितियों की समझ के प्रति जागरुकता में क्षेत्र के सन्दर्भ में विद्यालयों में अध्ययनरत् शहरी विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन जागरुकता का स्तर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के उल्लंघन जागरुकता पर विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र की अन्तःक्रिया के सन्दर्भ में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की

❖ शैक्षिक निहितार्थ

मानवाधिकार को विद्यार्थियों के जीवन में आत्मसात करना एक व्यापक और सतत् प्रक्रिया है, जिसमें विद्यालय प्रबन्धन और प्राधिकरण की एक प्रमुख भूमिका होती है। सर्वप्रथम विद्यालयों को पाठ्यक्रम में मानवाधिकार से संबंधित विषयों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना चाहिए। यह विषय केवल सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए, वरन् विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं और चुनौतियों से जोड़ने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए। उदाहरण के लिए मानवाधिकारों के इतिहास, उनके उल्लंघन और उनके संरक्षण से जुड़े मामले विद्यार्थियों को पढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ ही नैतिक कहानियों, दार्शनिक विचार और नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी शिक्षण का भाग बनाया जा सकता है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को यह समझने में सहायता करेगा कि मानवाधिकार केवल अधिकारों का मामला नहीं है, वरन् इसके साथ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भी समावेश है। पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों के इतिहास, उनके विकास और उनकी वर्तमान स्थिति को सम्मिलित करना आवश्यक है। विद्यार्थियों को यह समझाना चाहिए कि मानवाधिकार केवल कानूनी दस्तावेज नहीं हैं, वरन् यह मानवीय गरिमा और समानता के बुनियादी सिद्धान्तों का प्रतीक हैं।

परामर्शदाताओं को विद्यार्थियों के बीच संवाद का एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ वे स्वतंत्र रूप से अपने विचार और समस्याएँ साझा कर सकें। विद्यार्थियों के अनुभव और उनके सामाजिक परिवेश को समझकर परामर्शदाता उन्हें मानवाधिकारों का महत्व समझा सकते हैं और व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर इसे लागू करना सिखा सकते हैं। विद्यार्थियों में मानवाधिकारों की जागरूकता विकसित करने के लिए शिक्षकों को सबसे पहले एक ऐसा कक्षा वातावरण तैयार करना चाहिए जहाँ समानता, सम्मान और न्याय के मूलभूत सिद्धान्त लागू हों। शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव, पूर्वाग्रह या असमानता न हो। विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना, उनकी पृष्ठभूमि, जाति, धर्म या लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव न करना और उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनना एक सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को अपने व्यवहार और निर्णयों के माध्यम से विद्यार्थियों को यह दिखाना चाहिए कि मानवाधिकार केवल पढ़ाए जाने वाले विषय नहीं हैं वरन् इन्हें अपने जीवन में लागू करना महत्वपूर्ण है।

❖ सन्दर्भ सूची

- ओस्लर, ए0 (2016). *ह्यूमन राइट्स एण्ड स्कूलिंग : एन एथिकल फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग फॉर सोशल जस्टिस*. टीचर्स कॉलेज प्रैस।
- एंड्रियोपोलोस, जी0जे0 एवं क्लॉड, आर0पी0 (2017). *ह्यूमन राइट्स एजुकेशन फॉर द ट्वन्टी फर्स्ट सैन्चुरी*. यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया प्रैस।
- क्लाफेम, ए0 (2015). *ह्यूमन राइट्स : ए वैरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस।
- निकेल, जे0डब्ल्यू0 (2019). *मेकिंग सेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स*. जॉन वैली एण्ड सन्स।
- टिबिट्स, एफ0 (2017). इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन मॉडलस. *इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन राइट्स*, 21(3), 374–389।
- डॉनेली, जे0 (2013). *यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स इन थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस*. कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रैस।
- बासियौनी, एम0सी0 (2012). *द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस*. न्यूजर्सी, ब्रिल पब्लिकेशनस।

- बजाज, एम0 एवं हंटजोपोलोस, एम0 (2016). *ह्यूमन राइट्स एजुकेशन : थ्योरी, रिसर्च एण्ड प्रैक्टिस*. यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया प्रेस।
- बैंक्स, जे0ए0 (2020). *डाइवर्सिटी एण्ड सिटिजनशिप एजुकेशन : ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स*. लन्दन : जॉसीबैस।
- बजाज, एम0 (2011). *ह्यूमन राइट्स एजुकेशन : आइडियोलॉजी, लोकेशन एण्ड अप्रोचेज*. *ह्यूमन राइट्स क्वॉटरली*, 33(2), 481–508।
- मैकडवॉय, एल0 (2019). *ट्रान्जिशनल जस्टिस एण्ड ह्यूमन राइट्स एजुकेशन : फोस्टरिंग ए ग्लोबल कल्चर ऑफ राइट्स*. *ह्यूमन राइट्स एजुकेशन रिव्यू* 2(1), 5–23।
- मैरी, एस0ई0 (2006). *ह्यूमन राइट्स एण्ड जैन्डर वॉयलेन्स : ट्रान्सलेटिंग इन्टरनेशनल लॉ इन लोकल जस्टिस*. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस।
- मिहर, ए0 (2012). *ग्लोबल ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस, एजुकेशन एण्ड डेमोक्रेटाइजेशन*. *जर्नल ऑफ ह्यूमन राइट्स*, 11(2), 185–202।
- संयुक्त राष्ट्र संघ (2020). *ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2020*।

